

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (विविध)-23/2019- 5288 न०वि०एवंआ०वि०। नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के अन्तर्गत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में विभिन्न कोटि के अभियंताओं के स्वीकृत सभी पदों का नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरण विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक-18.09.2019 द्वारा किया जा चुका है।

2. उल्लेखनीय है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत निम्नवत् विभिन्न तरह के तकनीकी कार्य होते हैं :-

(क) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सीधे राज्य योजना के अंतर्गत योजना स्वीकृत की जाती है।

(ख) बुडको के द्वारा विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन होता है।

(ग) नगर निकायों द्वारा भी केन्द्रीय योजना, राज्य योजना अथवा आंतरिक संसाधन के अंतर्गत स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन किया जाता है।

3. उपरोक्त वर्णित योजनाओं के सफल कार्यान्वयन एवं विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक-18.09.2019 के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :-

(i) एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अभियंताओं द्वारा विभाग के कार्य एजेंसियों (यथा बुडको व नगर निकाय) द्वारा संचालित योजना का तकनीकी पर्यवेक्षण के क्रम में संबंधित कार्य एजेंसी (यथा नगर निकाय एवं बुडको) के अतिरिक्त अभियंता प्रमुख एवं सरकार को सीधे रिपोर्टिंग किया जाएगा, बुडको की योजनाओं का तकनीकी पर्यवेक्षण करने के क्रम में उनका रिपोर्टिंग प्रबंध निदेशक, बुडको को किया जाएगा तथा नगर निकायों के कार्य का भी तकनीकी पर्यवेक्षण किया जाएगा एवं उस क्रम में रिपोर्टिंग एकीकृत अभियंत्रण संगठन के वरीय अभियंताओं के साथ-साथ नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों को भी किया जाएगा।

(ii) वर्तमान में अभियंतागण मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर जिस कार्यालय का उपयोग कर रहे हैं, वे उसी कार्यालय में अगले आदेश तक कार्य करेंगे।

(iii) एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक अन्य कार्य विभागों यथा-पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं निगम व बोर्ड से नये सृजित पदों पर प्रतिनियुक्त अथवा सेवानिवृत्त सेवकों को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-10000 दिनांक-10.07.15 द्वारा विनिर्धारित प्रक्रिया, मानदंड एवं सेवाशर्त के आलोक में संविदा के आधार पर सेवायें प्राप्त की जायेगी।

(iv) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकारी को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जायेगा। चूँकि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दो प्रकार यथा बुडको द्वारा सौंपे गये योजना एवं राज्य सरकार व स्थानीय निकाय द्वारा सौंपे गये योजना हेतु निकासी एवं व्यय करेंगे, अतएव अगले आदेश तक बुडको की योजनाओं को देख रहे अभियंताओं का कार्यालय व्यय व वाहन से संबंधित व्यय बुडको पर प्रभारित होगा।

इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दो अलग-अलग खातों का संचालन करेंगे। राज्य सरकार की योजनाओं के लिए PL Account से वर्तमान में CFMS प्रणाली के अन्तर्गत निकासी किया जायेगा एवं बुडको की योजनाओं के लिए अलग Account जिसका संधारण बुडको द्वारा किया जायेगा तथा इसका रिपोर्ट बुडको को देना होगा।

(v) वर्तमान में राज्य योजना/केन्द्र योजना की सभी योजनाएँ जो बुडको द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं वे तत्काल अगले आदेश तक बुडको के द्वारा ही करायी जायेगी।

(vi) एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के अभियंताओं/टाउन प्लानर का सेवा शर्त निर्धारण/स्थानान्तरण/वेतन एवं भत्ते का भुगतान का दायित्व राज्य सरकार का होगा।

(vii) चूँकि DDO का CFMS पर ऑफिस Create करने व PL Account से लिंक कर निकासी में समय लगना संभावित है अतएव अंतरिम व्यवस्था के रूप में वर्तमान में बुडको में कार्यरत व वहाँ से वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों व पदाधिकारियों का, राज्य सरकार सेवा के अन्तर्गत समाहित किए जाने की तिथि के उपरांत बुडको द्वारा दो माह के वेतन के समतुल्य राशि अग्रिम के रूप में दी जायेगी जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(viii) बुडको के योजनाओं के देख रहे विभिन्न स्तर के अभियंताओं का कार्यालय व्यय एवं वाहन से संबंधित व्यय अगले आदेश तक बुडको पर ही प्रभारित होगा।

(ix) नगर विकास एवं आवास विभाग के अभियंत्रण संगठन के तकनीकी पदाधिकारी की स्थायी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग/तकनीकी सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी।

(x) संविदा पर कार्यरत अभियंताओं/कर्मियों पर उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प/अधिसूचना लागू होगा।

(xi) वर्तमान में राज्य योजना/केन्द्र योजना की सभी योजनाएँ, जो बुडको द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं, वे तत्काल अगले आदेश तक बुडको के द्वारा ही करायी जायेगी।

(xii) बुडको मुख्यालय के लिए संकल्प सं०-2690 दिनांक-16.05.18 एवं संकल्प सं०-5727 दिनांक-06.11.18 द्वारा जो पद सृजित किये गये थे वे भी अब सरकार के पद हो जायेंगे, परन्तु अगले आदेश तक वे बुडको में ही Located (अवस्थित) रहेंगे व उनके बीच कार्य का बंटवारा बुडको द्वारा किया जायेगा।

(xiii) सभी 893 पदों के नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत स्थानान्तरित होने के उपरांत भी इन पदों के विरुद्ध वर्तमान में संविदा पर नियोजित विभिन्न स्तर के अभियंता संविदा समाप्ति या नियमित नियुक्ति होने तक उक्त पद पर बुडको में ही बने रहेंगे और उनके पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान बुडको द्वारा ही किया जायेगा। जैसे-जैसे संविदा समाप्त होगी वैसे-वैसे वे पद भी बुडको से समाप्त होकर नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत समाहित होते जायेंगे।

(xiv) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मानव संसाधन एजेन्सी/Human Resource Management Unit की सेवाएँ ली जा सकेंगी, जो मुख्यतः निम्न कार्यों के संचालन एवं संधारण में विभाग को सहयोग करेगी:-

(क) वेतनादि भुगतान

(ख) सेवा पुस्तिका एवं लेखाओं का संधारण, अद्यतनीकरण

(ग) विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई

(घ) विधिक कार्य इत्यादि।

बिहार सरकार के आदेश से।

(चैतन्य प्रसाद)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (विविध)-23/2019 5288 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-01/10/19
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० (बुडको)/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत/बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) तथा नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।